

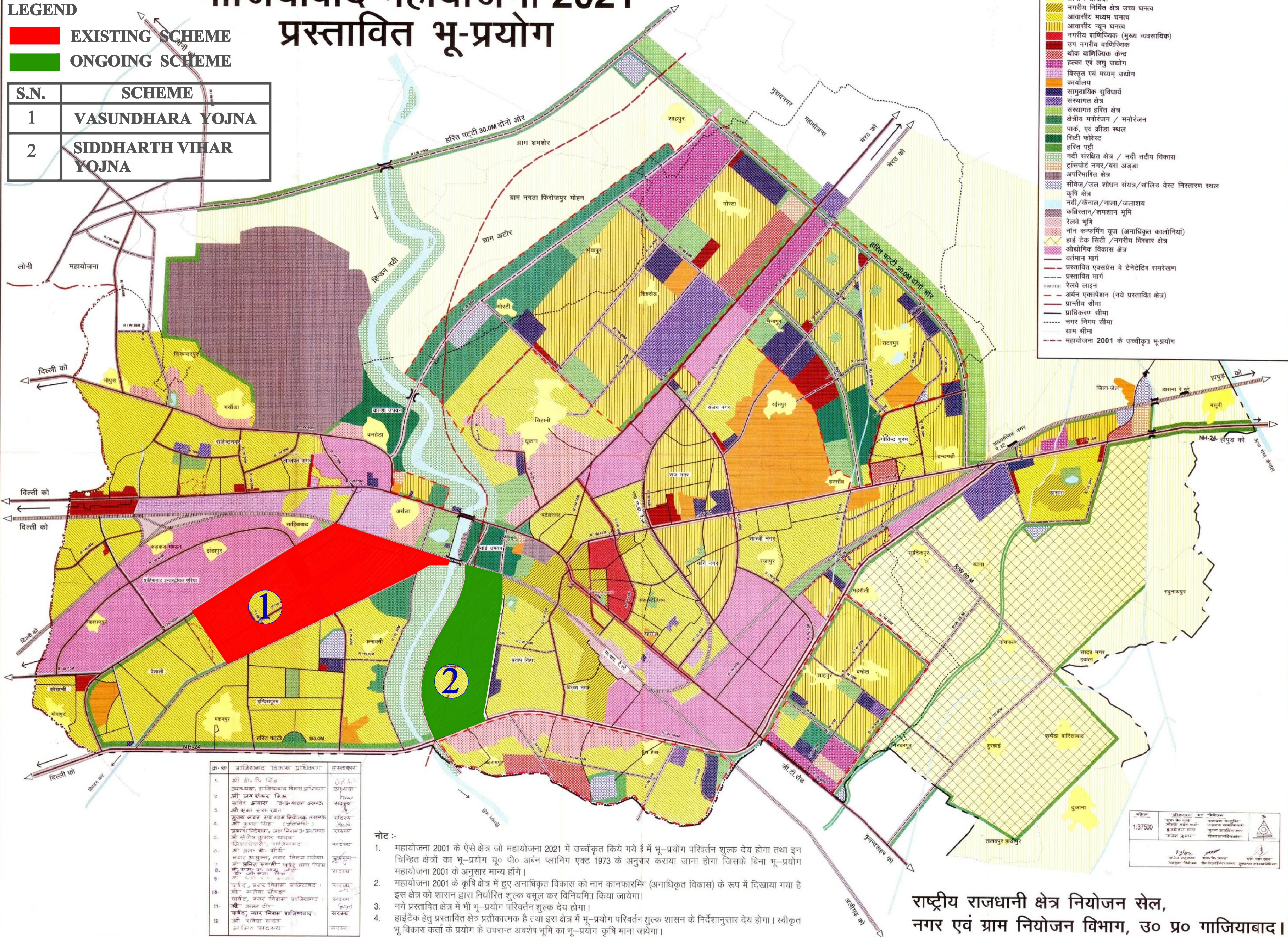
गाजियाबाद-महायोजना-2021

प्रस्तावित भू-प्रयोग

LEGEND

EXISTING SCHEME
ONGOING SCHEME

S.N.	SCHEME
1	VASUNDHARA YOJNA
2	SIDDHARTH VIHAR YOJNA



संकेतिका

ग्रामीण आबादी
नगरीय निर्मित क्षेत्र उच्च घनत्व
आवासीय मध्यम घनत्व
आवासीय न्यून घनत्व
नगरीय वाणिज्यिक (मुख्य व्यवसायिक)
उप नगरीय वाणिज्यिक
धोक वाणिज्यिक केन्द्र
हल्का एवं लघु उद्योग
विस्तृत एवं मध्यम उद्योग
कार्यालय
सामुदायिक सुविधायें
संस्थागत क्षेत्र
क्षेत्रीय मनोरंजन / मनोरंजन
पार्क, एवं क्रीडा स्थल
सिटी कोरैस्ट
हरित पट्टी
नदी संरक्षित क्षेत्र / नदी तटीय विकास
ट्रांसपोर्ट नगर/बस अड्डा
अपरिभाषित क्षेत्र
सीवेज/जल शोधन संयंत्र/सॉलिड वेस्ट निस्तारण स्थल
कृषि क्षेत्र
नदी/कैनल/नाला/जलाशय
कस्बिस्तान/शमशान भूमि
रेलवे भूमि
नॉन कम्पर्मिंग यूज (अनाधिकृत कालोनियां)
हार्ड टेक सिटी /नगरीय विस्तार क्षेत्र
औद्योगिक विकास क्षेत्र
वर्तमान मार्ग
प्रस्तावित एक्सप्रेस वे टैनेटेड वि. समरक्षण
प्रस्तावित मार्ग
रेलवे लाइन
अर्बन एक्सप्रेसन (नये प्रस्तावित क्षेत्र)
प्राचीन सीमा
प्राधिकरण सीमा
नगर निगम सीमा
ग्राम सीमा
महायोजना 2001 के उच्चिकृत भू-प्रयोग

क्र.सं.	वर्गीकरण	विवरण	संदर्भ
1.	श्री 10-10-10	उप-ग्राम, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	अनुसूची
2.	श्री 10-10-10	उप-ग्राम, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	अनुसूची
3.	श्री 10-10-10	उप-ग्राम, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	अनुसूची
4.	श्री 10-10-10	उप-ग्राम, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	अनुसूची
5.	श्री 10-10-10	उप-ग्राम, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	अनुसूची
6.	श्री 10-10-10	उप-ग्राम, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	अनुसूची
7.	श्री 10-10-10	उप-ग्राम, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	अनुसूची
8.	श्री 10-10-10	उप-ग्राम, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	अनुसूची
9.	श्री 10-10-10	उप-ग्राम, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	अनुसूची
10.	श्री 10-10-10	उप-ग्राम, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	अनुसूची
11.	श्री 10-10-10	उप-ग्राम, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	अनुसूची
12.	श्री 10-10-10	उप-ग्राम, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	अनुसूची

नोट :-

- महायोजना 2001 के ऐसे क्षेत्र जो महायोजना 2021 में उच्चिकृत किये गये हैं में भू-प्रयोग परिवर्तन शुल्क देय होगा तथा इन विनिर्दिष्ट क्षेत्रों का भू-प्रयोग यू० पी० अर्बन प्लानिंग एक्ट 1973 के अनुसार कराया जाना होगा जिसके बिना भू-प्रयोग महायोजना 2001 के अनुसार मान्य होंगे।
- महायोजना 2001 के कृषि क्षेत्र में हुए अनाधिकृत विकास को नान कानफार्मिंग (अनाधिकृत विकास) के रूप में दिखाया गया है इस क्षेत्र को शासन द्वारा निर्धारित शुल्क वसूल कर विनियमित किया जायेगा।
- नये प्रस्तावित क्षेत्र में भी भू-प्रयोग परिवर्तन शुल्क देय होगा।
- हार्डटेक हेतु प्रस्तावित क्षेत्र प्रतीकात्मक है तथा इस क्षेत्र में भू-प्रयोग परिवर्तन शुल्क शासन के निर्देशानुसार देय होगा। स्वीकृत भू विकास कर्ता के प्रयोग के उपरान्त अवशेष भूमि का भू-प्रयोग कृषि माना जायेगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नियोजन सेल,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ० प्र० गाजियाबाद।